

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 203/2017

बउनवान

रामदयाल आयु 45 साल पुत्र जगन्नाथ जाति चमार, निवासी सांखली, तहसील बारां
जिला बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०) (रेस्पोंडेंट)



अपील अन्तर्गत धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री अशोक मीणा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 25.07.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-सांखली तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 675 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी के बयान के आधार पर एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेटोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 38/2012 निर्णय दिनांक 22.03.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 675 रकबा 0.20 है0 ग्राम सांखली पर सम्वत् 2068 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 38/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2012 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1140/2015 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
बारां (राज.)